Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सीकर में अतिरिक्त जिला परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता के दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) को 60 हजार रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी–प्रथम को 40 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 13 अगस्त, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते हुये अतिरिक्त जिला परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता खुमाराम के लिये उसके दलाल कमल कुमार कुमावत (प्राइवेट व्यक्ति) को 60 हजार रुपये एवं उसी कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी–प्रथम रामचंद्र को **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की फर्म द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवास सीकर में करवाये गये कमरों के निर्माण के बकाया बिलों राशि करीब 27 लाख रूपये को पास करने की एवज में सहायक अभियंता द्वारा 60 हजार रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा 45 हजार रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिहाग**, द्वारा आज मय **पुलिस निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा** एवं टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अतिरिक्त जिला परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता खुमाराम के कहने पर उसके दलाल कमल (प्राइवेट व्यक्ति) को 60 हजार रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी–प्रथम रामचंद्र को 40 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खुमाराम सहायक अभियंता एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से नदारद हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर श्री राजेश सिंह के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।